1.4.14 वन सरंक्षण

प्रदेश के वनों पर बढ़ते जैविक दबाव, बढ़ती जनसंख्या तथा कृषि हेतु जमीन की बढ़ती मांग के कारण वन क्षेत्रों में अतिक्रमण एक गंभीर समस्या है। वर्तमान में संगठित एवं हिंसक अतिक्रमण के प्रयास भी हो रहे हैं। कई अशासकीय संगठनों द्वारा भी वनक्षेत्र में अतिक्रमण को प्रोत्साहित करने की घटनायें भी प्रकाश में आई हैं।

जनभागीदारी एवं क्षेत्रीय इकाईयों की सक्रियता से वन अपराधों पर नियंत्रण के लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। विभाग द्वारा विगत पांच वर्षों में पंजीबद्ध वन अपराध प्रकरणों का विवरण **तालिका क्रमांक 1.28** में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.28
वन अपराधों का विवरण

वन अपराध प्रकरण		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 मार्च की स्थिति में
अवैध कटाई के प्रकरण		54011	52613	48988	48087	54545	45008	8705
अवैध चराई के प्रकरण		1031	877	933	947	916	396	62
अवैध परिवहन के प्रकरण		2239	2137	1968	1631	1782	970	266
अतिक्रमण	प्रकरण संख्या	1699	1573	1658	1483	1344	722	-
	नवीन प्रभावित क्षेत्र(हे0)	3679	3140	2622	2105	1376	546.02	
अवैध उत्खनन	प्रकरण संख्या	1257	1186	986	969	1207	666	
	प्रभावित क्षेत्र (हे0)	279	659	631	2700	1497.02	266.66	
कुल पंजीबद्ध वन अपराध		**62393**	**60411**	**56174**	**56716**	**67716**	**41364**	
जप्त वाहनों की संख्या		1126	1295	1651	1477	1719	793	
न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण		2885	3180	3227	4009	2648	--	
वन अपराध में वसूल राशि (लाख में)		429.87	451.49	387.31	5379.29	4775.52	---	

निराकृत वन अपराध प्रकरणों की संबंध में जानकारी परिशिष्ट 15 (अ) में संलग्न है।

पर्यावरण एवं वनों की सुरक्षा की दृष्टि से काष्ठ के चिरान एवं व्यापार को लोकहित में विनियमन करने के लिये बनाये गये म0प्र0 काष्ठ चिरान अधिनियम 1984 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दर्ज किये गये वन अपराध प्रकरण का विवरण निम्नानुसार **तालिका क्रमांक –1.29** में दर्शित है :–

तालिका क्रमांक –1.29
वर्षवार दर्ज प्रकरण

वर्ष	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (मार्च)
प्रकरण संख्या	308	184	172	91	200	138	29

वन अमले द्वारा गश्त के दौरान जब्त किये गये वाहन वनोपज सहित

वनों की प्रभावी सुरक्षा हेतु क्षेत्रीय कर्मचारियों की गतिशीलता बढ़ाने हेतु वाहन उपलब्ध कराये गये हैं। अतिसंवेदनशील वनक्षेत्रों में बीट व्यवस्था के स्थान पर सामूहिक गश्त हेतु वन चौकियों की स्थापना की गई है। वर्ष 2018 की स्थिति में 329 वन चौकियां कार्यरत हैं। प्रत्येक चौकी में गश्ती हेतु वाहन उपलब्ध हैं। परिक्षेत्र स्तर पर वन गश्ती एवं सुरक्षा हेतु वाहन अनुबंधित कर उपलब्ध कराये गये हैं।

दिनांक 13.01.2019 को ओंकारेश्वर डैम मे नाव से सागौन की लकडी जब्त करते हुये

वन अपराधों पर नियंत्रण एवं त्वरित कार्यवाही हेतु प्रत्येक वन वृत्त में उड़नदस्ता दल कार्यरत है। उड़नदस्ता दल में पर्याप्त संख्या में वनकर्मी, शस्त्र एवं वाहन उपलब्ध हैं। ऐसे क्षेत्रों में, जहां संगठित वन अपराधों की संभावना है, विशेष सशस्त्र बल की 3 कम्पनियां भी तैनात की गई हैं।

वर्ष 2018 में 966 प्रकरणों में अपराधियों के विरूद्ध न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किये गये। वर्ष 2017 के अंत तक रू 3.31 करोड़ राशि अभिसंधारित प्रकरणों में वसूल की गई।

वन अपराध प्रकरणों से संबंधित वृत्तवार जानकारी **परिशिष्ट कमांक 05 से 15** में **संलग्न** है।

वर्ष 2018 की विशिष्ट उपलब्धियॉं –

1 राज्य में वन एवं वन्यप्राणी सुरक्षा के लिये संवेदनशील क्षेत्रों में वन भूमि पर अतिक्रमण अवैध वृक्ष कटाई, अवैध उत्खनन एवं अवैध शिकार आदि वन अपराधों में पेशेवर अपराधी तत्व शामिल रहते हैं, जो वन कर्मचारियों एवं समस्त प्रबंध समितियों द्वारा नियमानुसार कार्यवाही में बाधा डालने में सक्षम हैं। ऐसे कभी कभी असामाजिक तत्व हथियारों का उपयोग भी करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में वन अपराधियों से आमना–सामना एवं मुठभेड़ होने की अनेक वारदातें होती हैं। वर्ष 2018 में वन अपराध प्रकरणों में वन कर्मियों कर्तव्य निष्पादन के दौरान हमले की 22 घटनायें हुईं। हमले की इन घटनाओं में 23 वन कर्मचारी घायल हुये एवं एक वनपाल श्री सुबेदार सिंह को अवैध रेत परिवहन की रोकथाम के दौरान, अपराधियों द्वारा वन उपज जॉच नाके पर कर्तव्य निर्वहन के दौरान मृत्यु हो गई ।

2. वन एवं वन्यप्राणी की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दृष्टि से वर्ष 2018–19 में कैम्पा मद अंतर्गत 1700 नग 12बोर, 3000नग 0.32 बोर कारतूस क्रय किये गये। वित्तीय वर्ष 2018–19 में **केन्द्र प्रवर्तित योजना (फारेस्ट फायर एंव प्रिवेन्शन मेनेजमेन्ट योजना) से वन** सुरक्षा अधोसंरचना विकास अंतर्गत 02 लाईन क्वार्टर एवं 23 वाच टावर निर्माण, वनों को अग्नि से बचाव हेतु सुरक्षा कार्य, रोकथाम प्रशिक्षण, कार्यशाला एवं अग्नि शमन यंत्र क्रय हेतु राशि आवंटित की गई है।

3. विभागीय अपलेखित वाहन एवं वन अपराध में अंतिम रूप से राजसात वाहनों के निवर्तन में पारदर्शिता की दृष्टि से ''ई–टेंडरिंग'' की प्रकिया प्रारम्भ की गई जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2017–18 में 136 वाहन एवं 2018–19 में 66 वाहनों का विक्रय किया जाकर लगभग 68 लाख का राजस्व शासकीय खाते में जमा करवाया गया, साथ ही अन्य वाहनों की ''ई–टेंडरिंग'' के माध्यम से नीलामी की प्रकिया जारी है।

वन सुरक्षा प्रबंधन में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग

वन सुरक्षा के अनुश्रवण हेतु इंटरनेट आधारित **"वन अपराध प्रबंधन प्रणाली" (एफ.ओ.एम.एस.)** विकसित की गई है। साथ ही समस्त क्षेत्रीय एवं वन्यप्राणी को एफ ओ सी आर पंजी के स्थान पर **"वन अपराध प्रबंधन प्रणाली" (एफ.ओ.एम.एस.)** पर ही दर्ज करने के निर्देश प्रसारित किये गये है। इसके अंतर्गत अपराधों के पंजीयन, उनकी जांच, अभिसंधान, वसूली, न्यायालय में चालान इत्यादि कार्यवाही की सतत् समीक्षा की जाती है। अग्नि घटनाओं की सामयिक जानकारी प्राप्त करने हेतु भारत सरकार के सर्वे आफ ईडिया देहरादून द्वारा विकसित **''वन अग्नि सचेतन संदेश प्रणाली'' (फायर एलर्ट मेसेजिंग सिस्टम)** विकसित की गई है, जिसके प्रभावी परिणाम प्राप्त हो रहे है।

1.4.15 उत्पादन

राज्य में मुख्य रूप से सागौन, साल, बांस, खैर तथा अन्य मिश्रित प्रजातियों के वन पाये जाते हैं कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनसुार कूपों से ईमारती लकड़ी, जलाऊ, बांस व खैर का वन वर्धन के अनुसार विदोहन किया जाता है। साथ ही वनोपज की औद्योगिक व व्यापारिक आवश्यकताओं और वनों के समीप बसे ग्रामीणों की घरेलु आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आवश्यक व्यवस्था की जाती है।

काष्ठ विदोहन करते हुये

काष्ठागार

विगत 3 वर्षों में वन क्षेत्रों से काष्ठ एवं बांस का उत्पादन विवरण **तालिका क्रमांक –1.30** में दर्शित है।

तालिका क्रमांक –1.30

काष्ठ, बांस उत्पादन एवं राजस्व

विवरण	वर्ष			
	2015-16	**2016-17**	**2017- 18**	**2018- 19**
ईमारती लकड़ी (घ.मी. में)	2,06,915	1,84,304	1,74,352	2,45,846
जलाऊ चट्टें (नग)	1,28,433	1,20,213	1,24,686	1,42,444
बांस (नो.टन)	36,086	33885	28,262	29,175
प्राप्त राजस्व (करोड़ रुपये में)	1081.36	1016.32	1097.63	1116,29

राज्य की वर्तमान निस्तार नीति 01 जुलाई 1996 से लागू है। इस नीति में निस्तार सुविधा की पात्रता वनों की सीमा से 0.5 कि.मी. की परिधि में बसे परिवारों को ही दी गई है जिन्हें घरेलु उपयोग के लिये बांस छोटी ईमारती लकड़ी(बल्ली) हल, बक्खर बनाने की लकड़ी तथा जलाऊ लकड़ी रियायती दरों पर दी जाती है। इन वनोपज की पूर्ति के लिये राज्य में 1814 निस्तार डिपो संचालित है। इसके साथ–साथ स्वयं के उपयोग के लिये वनों से सिरबोज द्वारा गिरी पड़ी, मरी, सूखी जलाऊ लकड़ी लाने की सुविधा भी पूर्व अनुसार दी जा रही है। राज्य में 24058 बसोड़ परिवार पंजीकृत है रॉयल्टी मुक्त दर पर बांस उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे बेगा आदिवासियों जो कि बांस का सामान बनाकर जीविकोपार्जन करते हैं, को भी निस्तार दरों पर बांस उपलब्ध कराने का निर्णय म.प्र. शासन वन विभाग के पत्र दिनांक 09.09.2009 द्वारा लिया गया है प्रदेश में निस्तार व्यवस्था के तहत विगत 3 वर्षो में प्रदाय वनोपज का विवरण **तालिका क्रमांक–1.31** में दर्शित है।

तालिका क्रमांक– 1.31

वर्षवार निस्तार प्रदाय

वर्ष 2016,2017 एवं 2018 में निस्तार व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदायित वनोपज की मात्रा एवं दर

(मात्रा लाख नग में) (राशि रूपये लाख में)

विवरण	**प्रदाय निस्तार सामग्री**								
	2016			2017			2018		
वनोपज का नाम	बांस	बल्ली	जलाऊ	बांस	बल्ली	जलाउ चट्टें	बांस	बल्ली	जलाऊ चट्टे
मात्रा	28.48	0.57	0.50	27.62	0.44	0.44	27.04	0.38	0.45
विक्रय मूल्य (लाख रूपये में)	326.10	61.20	330.77	444.50	59.36	328.13	279.88	53.89	338.43
बाजार मूल्य (लाख रूपये में)	799.53	138.97	724.35	936.29	99.76	737.45	953.84	80.95	615.60
दी गई रियायत (लाख रूपये में)	**944.78**			**942.00**			**978.20**		

पिछले 3 वर्षों में मालिक मकबूजा काष्ठ प्रकरण संख्या प्राप्त काष्ठ व इस हेतु आवंटित बजट की जानकारी **तालिका क्रमांक 1.32** में दर्शित है।

तालिका क्रमांक– 1.32
वर्षवार मालिक मकबूजा हेतु वन मंडलों को आवंटित राशि

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	प्रकरण संख्या	प्राप्त काष्ठ (घ. मी.)	आवंटन (हजार रूपयों में)
1	2015-16	705	12769	316515
2	2016-17	428	9738	230673
3	2017-18	580	16790	339910
4	2018-19	486	13213	348000

तालिका क्रमांक– 1.32 (अ)
प्रदेश के उत्पादन कार्यों को सम्पादन करने हेतु निर्मित मानव दिवस की जानकारी है।

क्रमांक	वर्ष	मानव दिवस (लाख में)
1	2016–17	22.6
2	2017–18	20.7
3	2018–19	24.6

1.4.16 वन्यजीव प्रबंधन

प्रदेश में वन्यप्राणियों का संरक्षण एवं प्रबंधन वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाता है। अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य के गठन एवं प्रबंधन के प्रावधान सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त टाइगर रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व तथा कम्यूनिटी रिजर्व बनाये जाने के भी प्रावधान है। अधिनियम के अंतर्गत 6 अनुसूचियां है। प्रथम 5 अनुसूचियां वन्यप्राणियों को वर्गीकृत करती है तथा अनुसूचि 6 में पादप प्रजातियां उल्लेखित है। अनुसूचियों में उल्लेखित प्रजातियों को संरक्षित क्षेत्र के अंदर एवं बाहर विशिष्ट दर्जा प्राप्त है। शेष प्रजातियां संरक्षित क्षेत्र के भीतर होने पर ही अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रबंधित होती है। संरक्षित क्षेत्रों में उपलब्ध निर्जीव वस्तुयें भी वन्यजीवों के पर्यावास का भाग होने के कारण उनका विदोहन अधिनियमित है।

- **प्रदेश के संरक्षित क्षेत्र**

राज्य शासन द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण को उच्च प्राथमिकता दी गई है। मध्यप्रदेश में वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र 10989.247 वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश में 10 राष्ट्रीय उद्यान एवं 25 वन्यप्राणी अभयारण्य है। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, एवं संजय राष्ट्रीय उद्यानों तथा इनके निकटवर्ती 06 अभयारण्यों को समाहित कर प्रदेश में 06 टाइगर रिजर्व स्थापित है। इन 06 टाइगर रिजर्व का 5400.591 वर्ग कि.मी. बफर क्षेत्र अधिसूचित है। डिण्डौरी जिले के घुघवा में फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जहाँ 06 करोड़ वर्ष तक पुराने जीवाश्म संरक्षित किये गये है। धार जिले में "डायनोसोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, बाग" स्थापित किया गया है। भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में मान्यता प्राप्त है। बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी के सहयोग से केरवा, भोपाल में गिद्धों के संरक्षण हेतु प्रजनन केन्द्र की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त मुकुन्दपुर जिला सतना में व्हाइट टाइगर सफारी एवं चिड़ियाघर स्थापित किया गया है। प्रदेश के रायसेन जिले में प्रदेश का पहला डोम आधारित बटरफ्लाई पार्क बनाया गया है। खरबई, जिला रायसेन में एक नवीन चिड़ियाघर की स्थापना की कार्यवाई का केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, भारत सरकार से प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया गया है। बाघ, बारहसिंघा, मगर, डॉल्फिन, घड़ियाल, तेन्दुआ, गौर एवं काला हिरण प्रदेश को पहचान देने वाली मुख्य वन्यप्राणी प्रजातियॉ है। प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों की सूची **परिशिष्ट–16** में दी गई है।

कान्हा राष्ट्रीय उद्यान

- **वन्यप्राणी संरक्षण**

वन्यप्राणियों के संरक्षण एवं प्रबंध की मौलिक जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्रीय इकाइयों –संरक्षित क्षेत्र एवं क्षेत्रीय वनमण्डल की है। इनकी सहायता के लिए प्रदेश में निम्न अतिरिक्त व्यवस्थायें की गई है :–

- ➢ वन्यप्राणी अपराध अन्वेषण में सहायता के लिए राज्य में टाइगर स्ट्राइक फोर्स कार्यरत है। इस फोर्स के पांच आंचलिक केन्द्र इन्दौर, सागर, होशंगाबाद, जबलपुर और सतना में स्थित है।
- ➢ वनों के समीपस्थ बसाहटों में वनों से भटककर आने वाले वन्यप्राणियों को पकड़ कर सुरक्षित रूप से अन्यत्र छोड़ने के लिये रीजनल वन्यप्राणी रेस्क्यू स्क्वॉड की संख्या 10 से बढ़ाकर 15 की गई है।
- ➢ प्रदेश में वन्यप्राणियों के विरूद्ध हुये अपराधों में कारगर अन्वेषण, अपराधियों एवं वन्यप्राणी सामग्री की खोज के लिये 16 प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड का गठन किया गया है। इससे वन्यप्राणी अपराधों का ज्ञात करने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है।
- ➢ विगत दिवसों में मध्यप्रदेश वन विभाग के द्वारा वन्यप्राणी अपराध अन्वेषण के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता हासिल करते हुये म.प्र. एवं देश के अन्य राज्यों के वन्यप्राणी तस्करों तथा शिकारियों को पकड़ने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है तथा निरंतर ही इस क्षेत्र में सफलता मिल रही है। हाल ही में कछुए के अंतर्राष्ट्रीय तस्कर को गिरफतार किया गया है। म.प्र. वन विभाग

के वन्यप्राणी अपराध नियंत्रण के विशेष प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा प्रदेश के पांच स्थानों क्रमशः जबलपुर, इन्दौर, होशंगाबाद, सागर एवं सतना में विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है। उक्त न्यायालय STSF के द्वारा पंजीकृत अपराध प्रकरणों की सुनवाई करेगी। प्रत्येक STSF न्यायालय में ACJM स्तर के एक न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है।

- टाइगर रिजर्व एवं अन्य महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों की परिधि में स्थित क्षेत्रीय वन मण्डलों के बाघ विचरण वाले क्षेत्रों में स्थित 56 परिक्षेत्रों में सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु पेट्रोलिंग चौकी निर्माण तथा वाहन, वायरलेस एवं अन्य उपकरणों का प्रदाय किया गया है।
- संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत वन्य पशुओं के स्वास्थ्य परीक्षण एवं इलाज के लिए 10 पशु चिकित्सकों का पृथक कैडर कार्यरत है।
- नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत एक वन्यजीव स्वास्थ्य एवं फोरेन्सिक केन्द्र वन विभाग की मदद से संचालित है।

पेंच राष्ट्रीय उद्यान

• वन्यप्राणियों की अवैध शिकार एवं अन्य कारणों से मृत्यु

समस्त प्रयासों के बाद भी प्रदेश में प्रति वर्ष वन्य प्राणियों के अवैध शिकार एवं अन्य कारणों से मृत्यु के प्रकरण घटित होते हैं। विगत पांच वर्षो की प्रकरण संख्या का विवरण **तालिका क्रमांक–1.33** में दर्शित है।

तालिका क्रमांक– 1.33
(अवैध शिकार एवं मृत्यु प्रकरण)

वर्ष	अवैध शिकार प्रकरण	अन्य मृत्यु प्रकरण	योग
2014	347	1232	1579
2015	313	1202	1515
2016	191	914	1105
2017	263	559	822
2018(नवम्बर तक)	158	526	684

उपरोक्त प्रकरणों में अवैध शिकार एवं अन्य कारणों से मृत विभिन्न वन्य प्राणियों की संख्या का विवरण **तालिका क्रमांक–1.34** में दर्शित है।

तालिका क्रमांक–1.34
(अवैध शिकार एवं मृत वन्यप्राणी की संख्या)

वर्ष	अवैध शिकार से मृत वन्यप्राणियों की संख्या	अन्य कारणों से मृत वन्य प्राणियों की संख्या	योग
2014	434	1378	1812
2015	401	1251	1652
2016	171	984	1155
2017	245	611	856
2018(नवम्बर तक)	151	549	700

तालिका क्रमांक–1.34 (अ)
(अवैध शिकार एवं अन्य मृत्यु प्रकरण)

वर्ष	अवैध शिकार प्रकरण संख्या			अन्य मृत्यु प्रकरण संख्या			योग
	बाघ	तेन्दुआ	अन्य	बाघ	तेन्दुआ	अन्य	
1	2	3	4	5	6	7	8
2014	3	16	328	14	20	1198	1579
2015	6	17	290	12	30	1160	1515
2016	8	18	165	25	36	853	1105
2017	12	28	223	14	20	525	822
2018 दिनांक 15.11.18	3	14	141	12	16	498	684

तालिका क्रमांक–1.34 (ब)
(अवैध शिकार एवं अन्य कारणों से मृत वन्यप्राणियों की संख्या)

वर्ष	अवैध शिकार प्रकरण संख्या			अन्य मृत्यु प्रकरण संख्या			योग
	बाघ	तेन्दुआ	अन्य	बाघ	तेन्दुआ	अन्य	
1	2	3	4	5	6	7	8
2014	3	15	416	14	20	1344	1812
2015	6	16	379	14	30	1207	1652
2016	8	17	146	26	37	921	1155
2017	12	27	206	14	20	577	856
2018 दिनांक 15.11.18	3	13	135	12	16	521	700

मानव तथा वन्यप्राणियों के बीच द्वंद कम करने के प्रयास

- **वन्यप्राणियों से जन हानि होने पर राहत राशि का भुगतान :–**

उद्देश्य – वन्य प्राणियों द्वारा जन हानि किये जाने पर मृत व्यक्ति के परिवार को राहत राशि उपलब्ध कराना ।

पात्रता की शर्तें :–राहत राशि के भुगतान के लिए आवश्यक पात्रता की शर्तें निम्नानुसार हैः–

- जन–हानि (मृत्यु) वन्यप्राणी (सांप, गुहेरा एवं जहरीले जन्तु को छोडकर) द्वारा हुई हो। (यहां वन्य प्राणी से तात्पर्य वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में दी गई परिभाषा से है)
- आवेदनकर्ता मृत व्यक्ति का उत्तराधिकारी/परिवार का सदस्य/रिश्तेदार हो।

मृत व्यक्ति के वैधानिक प्रतिनिधि को सक्षम शासकीय चिकित्सक के प्रमाण–पत्र के आधार पर शासन के आदेश क्रमांक/एफ 15–13/2007/10–2 दिनांक 29 अप्रैल, 2016 के अनुसार 4,00,000 (रूपये चार लाख) मात्र एवं इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय क्षतिपूर्ति के रूप में दिये जाने का प्रावधान है।

वर्तमान में म0प्र0 लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत वन्य प्राणियों से जन हानि हेतु राहत राशि के भुगतान की निर्धारित समयावधि आवेदन दिनांक से तीन कार्य दिवस है।

विशेष – घटना की लिखित जानकारी तत्काल समीपस्थ वन अधिकारी (वन परिक्षेत्राधिकारी) को प्रस्तुत की जाना चाहिए।

- **वन्यप्राणियों से जन घायल होने पर राहत राशि का भुगतान**

उद्देश्य – वन्य प्राणियों से घायल व्यक्ति को राहत राशि उपलब्ध कराना ।

पात्रता की शर्तें – संबंधित व्यक्ति को किसी वन्यप्राणी (सांप, गुहेरा एवं जहरीले जन्तु को छोड़कर) द्वारा घायल किया गया हो। (वन्य प्राणी से तात्पर्य वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में दी गई परिभाषा से है)

घायल व्यक्ति को शासन के आदेश क्रमांक/एफ 15–13/2007/10–2 दिनांक 29 अप्रैल, 2016 के अनुसार निम्नानुसार क्षतिपूर्ति की राशि दिये जाने का प्रावधान है, जिसका विवरण **तालिका क्रमांक 1.35** में दर्शित है।

तालिका क्रमांक–1.35

क्र.	वन्यप्राणियों द्वारा की जाने वाली हानि	राहत राशि
1.	स्थायी विकलांगता होने पर	2,00,000 (रूपये दो लाख) मात्र एवं इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय
2.	जनघायल होने पर	इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय तथा अस्पताल में भर्ती रहने की अवस्था में अतिरिक्त रूप में रूपये 500/– प्रतिदिन (अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि हेतु) (क्षतिपूर्ति की अधिकतम सीमा रू. 50,000/– (रूपये पचास हजार) तक होगी।

वर्तमान में म0प्र0 लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत वन्य प्राणियों से जन घायल होने पर राहत राशि के भुगतान की निर्धारित समयावधि आवेदन दिनांक से सात कार्य दिवस है।

विशेष– घटना की लिखित जानकारी तत्काल समीपस्थ वन अधिकारी (वन परिक्षेत्राधिकारी) को देना अनिवार्य है।

➢ वन्य प्राणियों से पशु–हानि एवं पशुघायल हेतु राहत राशि का भुगतान

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र – वन्य प्राणियों द्वारा घरेलू निजी पशुओं को मारे जाने पर पशु मालिकों को प्रति मवेशी आर्थिक सहायता राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध करवायी जाती है तथा वन्यप्राणियों से पशुघायल होने पर शासन के आदेश क्रमांक/एफ 15–13/2007/10–2 दिनांक 29 अप्रैल, 2016 के अनुसार प्रभावित लोगों को वर्तमान में राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार वन्यप्राणियों द्वारा पशुहानि हेतु देय मुआवजा राशि की 50 प्रतिशत राशि तक क्षतिपूर्ति राशि दिये जाने का प्रावधान है।

योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया – सहायता पाने के लिये यह आवश्यक है कि –

- निजी पशु मारे जाने/घायल किये जाने पर सूचना समीप के वन अधिकारी को घटना के 48 घंटे के अंदर दी गई हो।
- मारे गये मवेशी/ पशु को मारे गये स्थान से नहीं हटाया गया हो।

वर्तमान में म0प्र0 लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत वन्य प्राणियों से पशु हानि हेतु राहत राशि के भुगतान की निर्धारित समयावधि आवेदन दिनांक से तीस कार्य दिवस है।

संपर्क – प्रकरण की सूचना मालिक द्वारा निकटतम वन अधिकारी (वन परिक्षेत्राधिकारी) को दी जानी चाहिए।

➢ वन्य प्राणियों से फसल हानि का मुआवजा

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र – मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत् वर्तमान में सेवा क्रमांक 4.6 में राजस्व विभाग द्वारा वन्यप्राणियों से किसानों की फसलों को पहुंचाई जाने वाली हानि का मुआवजा 30 कार्य दिवस में दिये जाने का प्रावधान है। इसके तहत हानि का आंकलन राजस्व विभाग में प्रचलित प्रक्रिया अनुसार राजस्व अधिकारी द्वारा किया जाता है।

संपर्क – फसल हानि की सूचना संबंधित तहसीलदार को दी जानी चाहिए।

तालिका क्रमांक–1.36

मध्यप्रदेश में वन्यप्राणियों से जनहानि, जनघायल एवं पशुहानि के कुल प्रकरण एवं मुआजवा

वर्ष	जनहानि प्रकरण	राशि	जनघायल प्रकरण	राशि	पशुहानि प्रकरण	राशि
2012–13	48	6335865	2906	10385572	4930	25871560
2013–14	48	6779400	2092	7807328	5232	29398705
2014–15	61	9135986	1334	6171288	4891	36619515
2015–16	52	7847885	1442	6122584	6128	41050818
2016–17	52	19855881	1308	6744239	7440	70064368
2017–18	42	16563690	1025	8427871	6488	61272840

वन्यप्राणी संरक्षण तथा मानव–वन्यप्राणी द्वंद को कम करने के लिए वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार बाघों के क्रिटिकल रहवास क्षेत्रों से समस्त ग्रामों का पुनर्स्थापन आवश्यक है। शेष संरक्षित क्षेत्रों के चिन्हित ग्रामों का भी पुनर्स्थापन किया जाना प्रावधानित है। इस हेतु रूपये 10.00 लाख प्रति पुनर्वास इकाई की दर से ग्राम के पुनर्वास के लिए राशि का निर्धारण किया जाता हैं। इसके लिये केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं राज्य योजना के अंतर्गत राशि प्राप्त हो रही है। राज्य शासन की नीति के अनुसार पुनर्स्थापन का कार्य ग्रामवासियों की सहमति के उपरांत ही किया जाता है। पर्यटन कैबिनेट के निर्णय अनुसार संरक्षित क्षेत्र के बाहर अंदरूनी वन क्षेत्र में स्थित ग्राम को भी उनकी सहमति प्राप्त होने पर अन्य पुर्नस्थापित किया जा सकता है। विगत वर्षो में पुनर्स्थापित किये गये ग्रामों की संख्या का विवरण **तालिका क्रमांक–1.37** में दर्शित है।

तालिका क्रमांक– 1.37

संरक्षित क्षेत्र में पुर्नस्थापित ग्राम

वित्तीय वर्ष	पुनर्स्थापित ग्राम संख्या
2012–13	4
2013–14	13 एवं 1 आंशिक
2014–15	17 एवं 3 आंशिक
2015–16	12 एवं 9 आंशिक
2016–17	19
2017–18	13
2018–19 (प्रगतिरत)	2

वन्यप्राणियों की संख्या का आंकलन

बाघों, सह–परभक्षियों एवं अन्य वन्य पशुओं की संख्या का आंकलन एवं उनके रहवास का मूल्यांकन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के सहयोग से प्रति चार वर्ष में एक बार किया जाता है। अभी तक हुये तीन आंकलन में मध्यप्रदेश में बाघों की औसत संख्या का आंकलन **तालिका क्रमांक–1.38** में दर्शित है। वर्ष 2018 के आंकलन का कार्य प्रचलित है। इस हेतु क्षेत्रीय शासकीय सेवकों का विस्तृत पैमाने पर प्रशिक्षण किया गया है।

तालिका क्रमांक–1.38
बाघों की संख्या का आंकलन

बाघों की संख्या			
राज्य / वर्ष	2006	2010	2014
मध्यप्रदेश	300 (236–364)	257 (213–301)	308

वन विभाग द्वारा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल के सहयोग से प्रदेश में पहली बार वर्ष 2016 में संकट ग्रस्थ प्रजाति गिद्धों की गणना की गई थी जिसके संकलित परिणाम वर्ष 2018 में प्राप्त हुये है। इसके अनुसार प्रदेश में 07 प्रजाति के लगभग 7000 गिद्ध पाये गये थे तथा वर्ष 2018–19 में भी द्वितीय प्रदेशव्यापी गिद्ध गणना प्रस्तावित है। यह प्रदेशव्यापी गिद्ध गणना संकट ग्रस्त गिद्धों के संरक्षण में भविष्य में नीव का पत्थर साबित होगी।

टाइगर रिजर्व का प्रबंध

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V (4) (ii) के अन्तर्गत प्रत्येक टाइगर रिजर्व में क्रिटिकल टाइगर हैबीटेट (कोर) एवं बफर क्षेत्र अधिसूचित किया जाना अनिवार्य है। क्रिटिकल टाइगर हैबीटेट पूर्णतः वन्यप्राणियों के उपयोग के लिए सुरक्षित है, जबकि बफर क्षेत्र क्रिटिकल टाइगर हैबीटेट के चारों ओर का बहुउपयोग में लाया जाने वाला वह क्षेत्र है जो क्रिटिकल टाइगर हैबीटेट की संनिष्ठता एवं सुरक्षा के लिये आवश्यक है। यहाँ कोर क्षेत्र की तुलना में प्रतिबन्ध कम होते है। टाइगर रिजर्व के प्रबंध हेतु बनायी जाने वाली टाइगर कंजर्वेशन प्लान में कोर एवं बफर क्षेत्र हेतु प्रबंध निर्देशों को सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त दो संरक्षित क्षेत्रों को जोड़ने वाले कॉरिडोर क्षेत्र के बारे में भी सांकेतिक प्रावधान सम्मिलित किये जाते है।

संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यप्राणी प्रबंध

संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यप्राणी प्रबंधन हेतु राज्य योजना प्रचलित है। इसके अंतर्गत संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यप्राणी प्रबंध हेतु क्षेत्रीय वनमण्डलों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। कॉरिडोर क्षेत्रों को सुदृढ़ करने के लिये भी इस योजना के अंतर्गत कार्य किया जाता है।

पेंच एवं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के वन्यप्राणी कॉरीडोर को सशक्त करने के लिये विश्व बैंक से पोषित जैव विविधिता संरक्षण एवं ग्रामीण आजिविका सुधार परियोजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2017–18 तक किया गया जिसके अच्छे परिणाम प्राप्त हुये हैं।

वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटन

पर्यटकों की सुविधा के लिये कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय एंव पेंच टाइगर रिजर्व में ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था है। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिनांक 01.10.2017 से बफर क्षेत्रों में भी ऑन लाइन बुकिंग की सुविधा प्रारंभ की गई है। राष्ट्रीय बांध संरक्षण प्राधिकरण के निर्देशानुसार टाइगर रिजर्व में पर्यटन हेतु खुला क्षेत्र 20 प्रतिशत की सीमा तक निर्धारित है। विगत वर्षो में पर्यटकों की संख्या तथा उनसे आय **तालिका क्रमांक –1.39** में दर्शित है।

तालिका क्रमांक– 1.39

संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटकों की संख्या

वर्ष	**2013–14**	**2014–15**	**2015–16**	**2016–17**	**2017–18 ***
पर्यटकों की संख्या (लाख में)	10.9	10.27	10.23	10.67	18.48
अर्जित आय (लाख में)	2068.29	2194.02	2608.25	2138.85	2704.64

* पर्यटन वर्ष 2017–18 में नवीन मुकुन्दपुर जू, पचमढ़ी व केनघड़ियाल अभयारण्य के पर्यटन आकड़े भी सम्मिलित किये गये है।

1.4.17 कार्य आयोजना

प्रदेश के वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन कार्य आयोजना के अनुसार किया जाता है। कार्य आयोजना पुनरीक्षण हेतु प्रदेश में क्षेत्रीय वृत्त स्तर पर सोलह कार्य आयोजना इकाईयॉ स्थापित हैं। उन इकाइयों के नियंत्रण हेतु तीन ऑचलिक कार्यालय स्थापित किये गये हैं। विवरण **तालिका क्रमांक 1.40** में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.40

कार्य आयोजना की क्षेत्रीय इकाईयॉ

कार्य आयोजना (आंचलिक)	3	भोपाल, इन्दौर एवं जबलपुर
कार्य आयोजना इकाई	16	बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छतरपुर, छिन्दवाड़ा, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, रीवा, सागर, सिवनी, शहडोल, शिवपुरी एवं उज्जैन।

मध्यप्रदेश के कार्य आयोजना इकाईयों द्वारा जिन वनमंडलों की कार्य आयोजना पुनरीक्षित की जा रही है, उनका विवरण **तालिका क्रमांक 1.41** में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.41

पुनरीक्षणाधीन कार्य आयोजना की सूची

अ.क्र.	**कार्य आयोजना इकाई**	**का.आ. पुनरीक्षणाधीन वनमंडल**
1	भोपाल	विदिशा/भोपाल
2	बैतूल	दक्षिण सागर
3	होशंगाबाद	सीहोर/दक्षिण बैतूल
4	सागर	उत्तर सागर
5	छतरपुर	उत्तर पन्ना
6	इंदौर	देवास
7	खण्डवा	बड़वानी
8	ग्वालियर	श्योपुर
9	शिवपुरी	कूनो वन्यप्राणी
10	उज्जैन	रतलाम
11	जबलपुर	जबलपुर
12	सिवनी	दक्षिण छिन्ववाड़ा
13	बालाघाट	पूर्व मण्डला

अ.क्र.	कार्य आयोजना इकाई	का.आ. पुनरीक्षणाधीन वनमंडल
14	रीवा	सतना
15	शहडोल	सिगरौली (प्रस्तावित)
16	छिंदवाड़ा	पूर्व छिन्दवाड़ा

कार्य आयोजना पुनरीक्षण के अन्तर्गत क्षेत्र मे कार्यो का संपादन

वर्ष 2018—19 में 05 वनमंडलों की पुनरीक्षित कार्य आयोजनाओं का अनुमोदन एवं 05 वनमंडलों की कार्य करण योजनाओं का अनुमोदन भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई है, उनका विवरण **तालिका क्रमांक 1.42** में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.42

स्वीकृत कार्य आयोजनायें एवं कार्य करण योजनायें

(माह जनवरी 2019 की स्थिति में)

क्रमांक	कार्य का विवरण	संख्या	वनमंडल का नाम
1	2	3	4
1	स्वीकृत कार्यकरण योजनायें	05	उत्तर सागर, पूर्व छिन्दवाड़ा, दक्षिण बैतूल, सतना एवं विदिशा।
2	अनुमोदित कार्य आयोजनायें	05	औबेदुल्लागंज, अलीराजपुर,पश्चिम दिन्छवाड़ा,उत्तर सिवनी एवं दक्षिण बालाघाट

1.4.18 वन भू—अभिलेख

संरक्षित एवं आरक्षित वनों का गठनः —

(क) आरक्षित वन गठित करने हेतु भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 से 20 तक की लम्बी प्रक्रिया से गुजरना होता है। अतः वनभूमि अधिसूचित करने की प्रक्रिया में किसी क्षेत्र को वर्तमान में वैधानिक संरक्षण देने के लिये सर्वप्रथम भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन अधिसूचित किया जा रहा है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत गत एक वर्ष में वनभूमि के व्यपवर्तन की जारी अनुमति के फलस्वरूप प्राप्त गैर वनभूमियों को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा—29 के अन्तर्गत 203 वनखण्डों की अधिसूचनाओं द्वारा 7069.944 हेक्टेयर संरक्षित वन मध्यप्रदेश के राजपत्र में अधिसूचित की गई है।

(ख) असीमांकित संरक्षित वनों, जिन्हें नारंगी क्षेत्र कहा जाता है, के सर्वेक्षण में उपयुक्त पाये गये क्षेत्रों को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 में अधिसूचित किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

(ग) आरक्षित वनों में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक अधिकारों का व्यवस्थापन कर दिया जाता है। संरक्षित वनों में ऐसे अधिकार यथावत रहते हैं, अतः इनका अभिलेखन किया जाना आवश्यक है। वर्ष 1950 में जागीरदारी एवं जमींदारी प्रथा समाप्त होने के पश्चात् शासन के पक्ष में वेष्ठित भूमियों को वर्ष 1958 में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक अधिकारों का अभिलेखन किये बिना ही संरक्षित वन अधिसूचित कर दिया गया था। इन अधिकारों का अभिलेखन अभी तक लम्बित है। अधिकारों के अभिलेखन का कार्य सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा किया जाना है।

वन एवं राजस्व भूमि सीमा विवाद

वर्ष 2004 से मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार वन एवं राजस्व भूमि सीमा विवाद के निराकरण की कार्यवाही प्रचलित है। वन सीमा से लगे 19,714 ग्रामों में से 19,554 ग्रामों में वन एवं राजस्व सीमाओं के सत्यापन उपरान्त अभिलेखों को अद्यतन करने की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। शेष ग्रामों में कार्यवाही पूर्ण करने हेतु प्रयास जारी हैं।

वन व्यवस्थापन

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–4 के अन्तर्गत प्रस्तावित आरक्षित वन अधिसूचित किये जाते हैं। प्रस्तावित आरक्षित वनों के वनखण्डों की धारा 6 से 19 तक की विधिक कार्यवाही करने हेतु वन व्यवस्थापन अधिकारियों की नियुक्तियॉं की जाती हैं। वर्ष 1988 से वन व्यवस्थापन के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को वन व्यवस्थापन अधिकारी बनाया गया। वर्ष 1988 से यह कार्य विभिन्न कारणों से पूर्ण नहीं होने पर वन विभाग द्वारा दिसम्बर 2003 में वन व्यवस्थापन अधिकारियों हेतु मार्गदर्शी निर्देश /प्रक्रिया संकलित कर जिलाध्यक्ष के माध्यम से समस्त वन व्यवस्थापन अधिकारियों को भेजी गई तथा उनका प्रशिक्षण भी जिला स्तर पर कराया गया फिर भी वन व्यवस्थापन के कार्य में वांछित प्रगति प्राप्त नहीं हुई।

वर्तमान में भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–4 में अधिसूचित 6,520 वनखण्डों की 30,04,624 हेक्टेयर भूमि के संबंध में धारा 6 से 19 तक की वन व्यवस्थापन की कार्यवाही लंबित है।

मध्यप्रदेश शासन मुख्य सचिव, कार्यालय का पत्र क्रमांक–974/एफ–25–08/2015/10–3 दिनांक 01 जून 2015 द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–4 के अन्तर्गत प्रकाशित अधिसूचनाओं में सम्मिलित पूर्णतः निजी स्वामित्व के भू–खण्डों को प्रस्तावित आरक्षित वन खण्ड से पृथक रखने बावत् कार्यवाही करने के निर्देश समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश को दिये गये हैं। वर्ष 2016 में वन व्यवस्थापन की कार्यवाही उपरांत 07 वनखण्डों का 2186.746 हेक्टेयर आरक्षित वन की अधिसूचनाऐं राजपत्र में प्रकाशित की गई हैं।

वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तितन

मध्य प्रदेश के 29 जिलों में 925 वन ग्राम हैं, जिनमें से 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत स्वीकृति हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को जनवरी 2002 से जनवरी 2004 तक की अवधि में जिलेवार प्रस्ताव प्रेषित किये गये थे। इन 827 वन ग्रामों में से 310 वन ग्रामों की सैद्धांतिक स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2002 से जनवरी 2004 के मध्य जारी की गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक/337/1995 की आई. ए. क्रमांक–2 में दिनांक 13.11.2000 से निर्वनीकरण पर रोक लगाई गई है एवं भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने की स्वीकृति पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.02.04 से स्थगन जारी किया गया है। इस कारण शेष 517 वन ग्रामों के लिये भी स्वीकृति लम्बित है। वैसे भी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार

द्वारा 310 वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित किये जाने की सैद्धांतिक स्वीकृतियों में अधिरोपित शर्तों की पूर्ति किये जाने में व्यवहारिक कठिनाईयाँ हैं। शर्तों में एक शर्त यह भी है कि वन ग्रामों से बनाये गये राजस्व ग्रामों का प्रशासनिक नियंत्रण वन विभाग का ही रहेगा।

अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा–3 (1) (ज) में वनग्रामों के संपरिवर्तन के अधिकार का उल्लेख है। विधि विभाग से प्राप्त अभिमत दिनांक 12.12.2016 अनुसार वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत बिना भारत सरकार के पूर्व अनुमति के वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अधिनियम में वर्णित प्रावधान एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की दिशा–निर्देश का अनुपालन किया जाना उचित होगा।

(ख) वर्ष 1980 के पूर्व राजस्व विभाग को हस्तांतरित वन ग्राम

वन विभाग द्वारा वर्ष 1980 के पूर्व 662 वनग्रामों का प्रबंधन हेतु राजस्व विभाग को हस्तांतरण की अधिसूचना/ आदेश जारी किये गये, जिसमें से 02 वनग्राम छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित हैं। वर्ष 1980 के पूर्व 06 वनग्राम (02 वनग्राम जून 1978 में, 02 वनग्राम दिसम्बर 1979 में और 02 वन ग्राम सितम्बर 1986) राजसव विभाग को हस्तांतरित किये जाकर वनभूमि की भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के तहत निर्वनीकरण की अधिसूचनाऐं जारी की जा चुकी हैं। इससे स्पष्ट है कि उपरोक्त वनग्रामों को राजस्व ग्राम बनाये जाने की मंशा से ही हस्तांतरित किया गया था।

उपरोक्त वनग्रामों में से तत्समय 533 वनग्राम वर्ष 1980 के पूर्व राजस्व विभाग को प्रबंधन हेतु हस्तांतरित किया गया, परन्तु उक्त वनग्रामों की वनभूमि के निर्वनीकरण की कार्यवाही तत्समय पूर्ण नहीं होने के कारण इन वनग्रामों की वनभूमि का वर्तमान में वैधानिक स्वरूप वनभूमि ही है। उपरोक्त हस्तांतरित 533 वनग्रामों में से 16 वनग्रामों की हस्तांतरित वनभूमि निरंक होने एवं 01 वनग्राम अर्वीकृत वन क्षेत्र में स्थित होने से शेष 516 वनग्रामों की वनभूमि के निर्वनीकरण के प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित किये गये। राज्य शासन के अनुमोदन उपरांत प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/वन अधि./938 दिनांक 10.08.2016 से अनुमति हेतु प्रेषित किये गये। भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/F.No.17-80/2017-FC दिनांक 12.04.2018 से उपरोक्त वनग्रामों की वनभूमि के निर्वनीकरण की अनुमति हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

उपरोक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करने हेतु शासकीय अधिवक्ता के परामर्श अनुसार मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक/12417/1/64 दिनांक 07.10.1964 के हस्तांतरित वनग्रामों की वनभूमि का निर्वनीकरण का उल्लेख होने से उपरोक्त प्रस्ताव में से 30 वनग्रामों को विलोपित करने के उपरांत शेष 486 वनग्रामों की निर्वनीकरण की कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 : –

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन की कार्यवाही आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा की जा रही है और पात्र लोगों को वितरित अधिकार पत्रों से संबंधित अभिलेखों के संधारण का दायित्व वन विभाग को सौंपा गया है। आदिम जाति कल्याण विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक 31.10.2018 की स्थिति में प्रदेश में व्यक्तिगत 2,24,882 वन अधिकार पत्र 338896.100 हेक्टेयर वनक्षेत्र में तथा सामुदायिक 27,948 अधिकार पत्र कुल 539390.900 हेक्टेयर वनक्षेत्र में वितरित किये गये हैं।

1.4.19 समन्वय

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख मध्य प्रदेश भोपाल के अधीन प्रदेश के विभागीय कार्यो का संपादन मे समन्वय के कार्य किया जाता है।

मध्य प्रदेश लोक सेवाओ के प्रदान की गांरटी अधिनियम 2010 का क्रियन्वयन विभाग द्वारा सफलता पूर्वक किया जा रहा है। योजना का क्रियान्वयन आन लाईन होने के परिणामस्वरूप इसका सत्त अनुश्रवण प्रभावी रूप से किया जा रहा है। सेवा प्रदाय का विवरण **तालिका क्रमांक–1.43** मे दर्शित है।

तालिका क्रमांक–1.43

मध्यप्रदेश शासन लोकसेवा प्रबंधन प्रणाली अन्तर्गत सेवा प्रदाय की स्थिति
(मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत)
दिनांक 07/08/2011 से दिनांक 22/12/2018 तक

अब तक प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	निर्धारित समयसीमा में निराकृत आवेदन पत्रों की संख्या			निर्धारित समयसीमा के पश्चात् निराकृत आवेदन पत्रों की संख्या			लंबित आवेदन पत्रों की संख्या					
							समय सीमा बाह्य	जिनकी समय सीमा पूर्ण होगी				योग
	सेवा उपलब्ध कराई गई	सेवा अमान्य कर दी गई	योग	सेवा उपलब्ध कराई गई	सेवा अमान्य कर दी गई	योग		आज	2 दिनों में	3 दिनों में	3 दिनों के बाद	
136533	133931	1228	135159	856	72	928	21	1	1	8	415	446